COMMONSPIRIT HEALTH
शासन नीति परिशिष्ट

परिशिष्ट वित्त G-003A-1 **लागू होने की तारीख:** 1 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय सहायता - California

संबंधित नीतियां

CommonSpirit शासन नीति	वित्त G-003, *वित्तीय सहायता*
CommonSpirit शासन नीति	वित्त G-004, *बिलिंग और उगाही*

जैसा कि इसकी CommonSpirit शासन नीति *कानून G-003, वित्तीय सहायता* (वित्तीय सहायता नीति) में वर्णित है, यह CommonSpirit Health, और इसके प्रत्येक कर-मुक्त प्रत्यक्ष सहयोगी[1] और कर-मुक्त सहायक कंपनी[2], जो एक अस्पताल संचालित करती है (व्यक्तिगत रूप से CommonSpirit अस्पताल संस्था के रूप में और सामूहिक रूप से CommonSpirit अस्पताल संगठनों के रूप में संदर्भित), की नीति है कि CommonSpirit अस्पताल में सभी रोगियों को, बिना किसी रोगी की भुगतान करने की वित्तीय क्षमता की परवाह किए, बिना किसी भेदभाव के आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल (जैसा कि वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है और यहां जिसे EMCare के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रदान करना है।

यह California परिशिष्ट (परिशिष्ट) California स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता (धारा 127400-127446) में उल्लिखित अस्पताल उचित मूल्य निर्धारण नीतियों का CommonSpirit अस्पताल संगठनों के द्वारा अनुपालन का दस्तावेज है। यहां CommonSpirit हस्पताल संस्था से संबंधित सभी संदर्भ California राज्य में स्थित केंद्रों को संदर्भित करते हैं। यदि इस परिशिष्ट का कोई प्रावधान वित्तीय सहायता नीति या CommonSpirit शासन नीति कानून G-004, *बिलिंग और उगाही* के किसी प्रावधान के विरोध में या असंगत है, तो इस परिशिष्ट का नियंत्रण होगा।

I. परिभाषाएं

चैरिटी केयर का अर्थ पात्र रोगियों को पूर्ण वित्तीय सहायता (अर्थात, 100% छूट) देना है, जो रोगी और उसके गारंटर को पात्र सेवाओं के लिए भुगतान करने के उनके संपूर्ण वित्तीय दायित्व से मुक्त करता है। रोगी को प्रदान की जाने वाली योग्य सेवाओं के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान की जानेवाली कोई राशि हो तो चैरिटी केयर उसे कम नहीं करती

[1] एक प्रत्यक्ष सहबद्ध संस्था वो निकाय है जिसमें CommonSpirit एकमात्र कॉर्पोरेट सदस्य या एकमात्र शेयरधारक है, साथ ही Colorado स्थित गैर-लाभकारी निकाय डिग्निटी कम्युनिटी केयर है।

[2] एक सहायक या तो एक संस्था को संदर्भित करता है, चाहे वह गैर-लाभकारी हो या लाभ के लिए हो, जिसमें एक प्रत्यक्ष सहयोगी के पास ऐसे संस्था के शासी निकाय के पचास प्रतिशत (50%) या अधिक मतदान सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होता है या ऐसे संस्था में पचास प्रतिशत (50%) या अधिक मतदान का अधिकार होता है (प्रत्यक्ष सहयोगी पर कुछ निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को प्रदान करने वाली सदस्यता शक्तियों या प्रतिभूतियों के प्रमाण के रूप में) या कोई भी संस्था जिसमें एक सहायक कंपनी के पास ऐसी शक्ति या मतदान अधिकार होता है।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

है। इस परिशिष्ट के भीतर, चैरिटी केयर को रियायत या वित्तीय सहायता के अन्य रूपों से अलग किया जाता है, जब वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत दी गई राशि की चर्चा खाते की शेष राशि (चैरिटी केयर) की पूर्ण रियायत बनाम खाते की शेष राशि की आंशिक रियायत (छूट या वित्तीय सहायता के अन्य रूप) के रूप में की जाती है।

रियायती देखभाल का अर्थ है पात्र रोगियों को आंशिक वित्तीय सहायता देना ताकि रोगी और उसके गारंटर को योग्य सेवाओं के लिए भुगतान के लिए उनके वित्तीय दायित्व के एक हिस्से से मुक्त किया जा सके। रोगी को प्रदान की जाने वाली योग्य सेवाओं के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान की जानेवाली कोई राशि हो तो रियायती देखभाल उसे कम नहीं करती है। वित्तीय सहायता कार्यक्रम से वर्जित रियायतें सामान्य रियायतें हैं जिन्हें लागू करना भुगतान करने की क्षमता पर आधारित नहीं है।

आवश्यक जीवनयापन व्यय निम्नलिखित में से किसी के लिए भी किए गए खर्च होते हैं: किराया या घर का भुगतान और रखरखाव, भोजन और घरेलू आपूर्ति का सामान, उपयोगिता और टेलीफोन, कपड़े, चिकित्सा और दंत चिकित्सा भुगतान, बीमा, स्कूल या बच्चे की देखभाल, बच्चे या जीवनसाथी की सहायता, परिवहन और ऑटो खर्च, जिसमें बीमा शामिल है, गैस और मरम्मत, किस्त, कपड़ों की धुलाई और साफसफाई, और अन्य असाधारण खर्च।

परिवार में रोगी के साथ शामिल हैं: (a) California परिवार संहिता की धारा 297 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार, अठारह (18) वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, जीवनसाथी, घरेलू सहभागी, और इक्कीस (21) वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे, चाहे घर पर रह रहे हों या नहीं के लिए। (b) अठारह (18) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, माता-पिता, देखभाल करने वाले रिश्तेदार, और इक्कीस (21) वर्ष से कम उम्र के अन्य बच्चों के लिए माता-पिता या देखभाल करने वाले रिश्तेदार।

पारिवारिक आय को आवेदक और आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों के लिए संशोधित समायोजित सकल आय की IRS परिभाषा के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। पात्रता निर्धारित करने के लिए, अस्पताल रोगी के परिवार की 'मौद्रिक संपत्ति' पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, मौद्रिक संपत्तियों में सेवानिवृत्ति या आंतरिक राजस्व संहिता के तहत अर्हताप्राप्त आस्थगित मुआवजा योजनाएं या अनर्ह आस्थगित मुआवजा योजनाएं शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा, रोगी के परिवार की मौद्रिक संपत्ति के पहले दस हजार डॉलर ($10,000) को पात्रता निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा और न ही रोगी के परिवार की पहले $10,000 से अधिक की मौद्रिक संपत्ति का 50% पात्रता निर्धारित करने में गिना जाएगा।

इस परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता का अर्थ चैरिटी केयर, रियायती देखभाल या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता में शामिल नहीं है:

- अशोध्य ऋण या वसूल न किया जा सकनेवाला शुल्क जिसे संस्था ने आय के रूप में दर्ज किया लेकिन भुगतान करने में रोगी की विफलता के कारण, या ऐसे रोगियों को ऐसी देखभाल प्रदान करने की लागत के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया;
- Medi-Cal या अन्य साधन-परीक्षित सरकारी कार्यक्रमों या Medicare के तहत प्रदान की जाने वाली देखभाल की लागत और उससे प्राप्त आय के बीच का अंतर;

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

- स्व-भुगतान या शीघ्र भुगतान छूट; या
- किसी भी तीसरे पक्ष के भुगतानकर्ताओं के साथ संविदात्मक समायोजन।

विपत्ति छूट एक रोगी को प्रदान की गई अतिरिक्त छूट है जो नीचे दिए गए मापदंडों की पूर्ति करती है।

उच्च चिकित्सा लागत रोगी ऐसा रोगी है जिसका स्वास्थ्य कवरेज है और जो निम्नलिखित दो मापदंडों में से एक को पूरा करता है: (a) CommonSpirit अस्पताल संगठन में व्यक्ति द्वारा खर्च की गई वार्षिक आउट-ऑफ-पॉकेट लागतें रोगी की मौजूदा पारिवारिक आय या बारह (12) महीनों में रोगी की पारिवारिक आय के न्यूनतम 10% से अधिक हो जाती है; या (b) वार्षिक आउट-ऑफ-पॉकेट चिकित्सा व्यय रोगी की पारिवारिक आय के 10% से अधिक हो जाता है, यदि रोगी पिछले बारह (12) महीनों में रोगी या रोगी के परिवार द्वारा भुगतान किए गए रोगी के चिकित्सा व्यय के दस्तावेज प्रदान करता है।

उचित भुगतान योजना एक विस्तारित भुगतान योजना है जिसमें आवश्यक जीवनयापन व्यय के लिए कटौतियों को छोड़कर मासिक भुगतान रोगी के एक महीने के पारिवारिक आय का 10% से अधिक नहीं होता है। इस परिशिष्ट के तहत पात्र रोगियों की सहायता के लिए CommonSpirit अस्पताल संगठनों द्वारा दी जाने वाली विस्तारित भुगतान योजनाएं ब्याज मुक्त होंगी।

II. CALIFORNIA वित्तीय सहायता कार्यक्रम की आवश्यकताएँ

इस परिशिष्ट की निम्नलिखित आवश्यकताएं California राज्य में CommonSpirit अस्पताल संस्था में सेवाएं प्राप्त करने वाले रोगियों पर लागू होती हैं।

A. चैरिटी देखभाल (FPL का 250% तक)

कोई भी रोगी जिसकी पारिवारिक आय FPL के 250% या उससे कम है, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी अबीमाकृत रोगी या उच्च चिकित्सा लागत वाला रोगी शामिल है, किसी तीसरे पक्ष (क्षों) द्वारा भुगतान के बाद रोगी को प्रदान की जाने वाली योग्य सेवाओं के लिए अपने खाते की शेष राशि से 100% रियायत के बराबर चैरिटी केयर प्राप्त करने के लिए पात्र है।

B. अबीमाकृत रोगियों और उच्च चिकित्सा लागत वाले रोगियों के लिए छूट (FPL के 400% से कम या उसके बराबर) और विस्तारित भुगतान योजनाएं

कोई भी अबीमाकृत या उच्च चिकित्सा लागत वाला रोगी जो ऊपर दिए गए परिच्छेद (A) के तहत चैरिटी केयर के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है और जिसकी पारिवारिक आय FPL के 400% या उससे कम है तो वह उसके द्वारा प्राप्त योग्य सेवाओं के लिए रियायती देखभाल प्राप्त करने और ब्याज मुक्त विस्तारित भुगतान योजना के लिए पात्र है। यह रियायती देखभाल योग्य सेवाओं के लिए अपेक्षित भुगतान को उस राशि तक सीमित रखेगी, जो (i) CommonSpirit अस्पताल संस्था Medicare, Medi-Cal, या किसी अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसमें अस्पताल भाग लेता है, से सेवाएं प्रदान करने के लिए सद्भावना से प्राप्त होने वाली भुगतान की राशि से अधिक नहीं होगी, जो भी सबसे बड़ी हो, और (ii) किसी भी स्थिति में, रोगी को प्रदान की जाने वाली योग्य सेवाओं के लिए AGB (वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित) से अधिक नहीं होगी।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

अनुरोध करने पर, रियायती देखभाल प्राप्त करने वाले रोगियों को एक ब्याज-मुक्त विस्तारित भुगतान योजना प्रदान की जाएगी जो उन्हें समयोपरि रियायती राशि के भुगतान की अनुमति देगी। CommonSpirit अस्पताल संस्था और रोगी भुगतान योजना की शर्तों पर बातचीत करेंगे और परिवार की आय और किसी भी आवश्यक जीवन व्यय को ध्यान में रखेंगे। यदि CommonSpirit अस्पताल संस्था और रोगी भुगतान योजना पर सहमत नहीं हो सकते हैं तो CommonSpirit अस्पताल संस्था रियायती राशि के समयोपरि भुगतान की अनुमति के लिए एक उचित भुगतान योजना लागू करेगी।

C. अतिरिक्त अबीमाकृत छूट (400% से अधिक और FPL के 500% से कम या उसके बराबर)

कोई भी अबीमाकृत रोगी या उच्च चिकित्सा लागत वाला रोगी जिसकी पारिवारिक आय FPL के 400% से अधिक लेकिन 500% या उससे कम है तो वह उसके द्वारा प्राप्त योग्य सेवाओं के लिए रियायती देखभाल प्राप्त करने और ब्याज मुक्त विस्तारित भुगतान योजना के लिए पात्र है। छूट उस राशि को सीमित कर देगी जिसे रोगी द्वारा भुगतान करना अपेक्षित है जो लागू AGB से अधिक नहीं है।

अनुरोध करने पर, इस रियायती देखभाल को प्राप्त करने वाले किसी भी रोगी को ब्याज मुक्त विस्तारित भुगतान योजना भी प्रदान की जाएगी जो तीस महीने (30) की अवधि के भीतर रियायती राशि का भुगतान करने की अनुमति देती है।

D. अतिरिक्त विपत्ति छूट

उस रोगी को जो रियायती देखभाल प्राप्त करता है, लेकिन (1) जिसका दायित्व अभी भी (a) उसकी पारिवारिक आय और (b) उसकी मौद्रिक संपत्ति के योग के 30% से अधिक है, और (2) जो अपने बिल का भुगतान करने की क्षमता नहीं रखता, जैसा कि आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित पारिवारिक आय जैसे कारकों की और मौजूदा या प्रत्याशित स्वास्थ्य देखभाल देयताओं की समीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया है, अतिरिक्त विपत्ति छूट दी जा सकती है। इस विपत्ति छूट के निर्धारण के लिए, CommonSpirit अस्पताल संस्था सेवानिवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संपत्ति पर विचार नहीं करेगी जो आंतरिक राजस्व संहिता के तहत पात्र हैं और जो निर्धारण या आस्थगित क्षतिपूर्ति योजनाओं के समय प्रभावी हों।

यदि रोगी सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करता है, तो रोगी को विपत्ति छूट प्राप्त होगी, जिससे रोगी की शेष देयता रोगी के (1) परिवार की आय, और (2) मौद्रिक संपत्ति के योग के 30% से अधिक नहीं होगी।

एक रोगी को इस परिशिष्ट के तहत तब भी छूट मिल सकती है यदि उसे बेघर या अस्थायी माना जाता है या यदि वह संघीय, राज्य या स्थानीय प्रबंधित निर्धन देखभाल कार्यक्रम में भाग लेता है।

E. सकल शुल्क को लागू करने पर प्रतिबंध

इस परिशिष्ट के अंतर्गत आने वाली किसी भी देखभाल के लिए (आपातकालीन चिकित्सा देखभाल या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल), CommonSpirit अस्पताल संस्था द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र रोगी से ली जाने वाली शुद्ध राशि ऐसी देखभाल के लिए लिये जानेवाले सकल शुल्क से कम होगी। यह राशि उस राशि के बराबर होगी जिसका भुगतान करने के लिए रोगी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, जब सभी कटौतियां और छूट (इस परिशिष्ट के तहत उपलब्ध छूट सहित) लागू हो गई हों और बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि को कम कर दिया गया हो। इस राशि

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

में बीमाकर्ता द्वारा कवरेज की शर्त के रूप में भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि शामिल नहीं होगी। परिशिष्ट के तहत कवर की गई देखभाल के लिए CommonSpirit अस्पताल संस्था द्वारा जारी बिलिंग विवरण ऐसी देखभाल के लिए सकल शुल्क निर्दिष्ट कर सकती है और सकल शुल्क के लिए संविदात्मक भत्ते, छूट या कटौती लागू कर सकती है, बशर्ते कि वास्तविक राशि जिसे भुगतान करने के लिए व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है वह ऐसी देखभाल के लिए सकल शुल्क से कम हो।

F. आपातकालीन चिकित्सक सेवाएं

कोई भी आपातकालीन चिकित्सक जो आपातकालीन देखभाल सुविधा वाले CommonSpirit अस्पताल संस्था में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, उन रोगियों और उच्च चिकित्सा लागत वाले रोगियों को छूट प्रदान करेगा जो FPL के 400% या उससे कम हैं।

G. बिलिंग और उगाही गतिविधियां

1. उपलब्ध छूटों को लागू करने के बाद रोगियों या गारंटरों द्वारा कोई भी राशि बकाया हो तो उसकी वसूली के लिए संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय सहायता के लिए अंतिम निर्धारण पात्रता के अनिर्णित रहने तक बकाया राशि के लिए उगाही प्रयास रोक दिए जाएंगे। कोई भी CommonSpirit अस्पताल संस्था निम्नलिखित में से किसी से भी पहले कोई भी ECA नहीं करेगी और न ही उगाही एजेंसियों को करने कीअनुमति देगा: (a) रोगी वित्तीय सहायता के लिए योग्य है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास करना; या (b) पहला रोगी विवरण भेजे जाने के 180 दिन बाद। अस्पताल सुविधा वेबसाइट पर CommonSpirit बिलिंग और उगाही नीति, अस्पताल फैसिलिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

2. CommonSpirit अस्पताल संस्था उन एजेंसियों से जो अस्पताल की प्राप्य राशि एकत्र करती हैं, लिखित समझौता प्राप्त करेगी कि वे CommonSpirit अस्पताल संस्था के मापदंडों और कार्यप्रणाली की सीमा का पालन करेंगी। CommonSpirit अस्पताल संस्था की सहयोगी, सहायक, या बाहरी कलेक्शन एजेंसी जो ऋण एकत्रित करती है उसे इस समझौते के तहत इस परिशिष्ट में उल्लिखित उचित भुगतान योजना की CommonSpirit अस्पताल संस्था की परिभाषा और उसे लागू करने का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। A patient debt shall only be sold to a debt buyer under terms that comply with Section 127425 of the California Health and Safety Code as amended.

3. CommonSpirit अस्पताल संस्था या अन्य हस्तान्तरिती, जो CommonSpirit अस्पताल संस्था का सहयोगी या सहायक है, इस परिशिष्ट के चैरिटी केयर या छूट भुगतान प्रावधानों के तहत पात्र रोगियों के साथ व्यवहार करते समय अस्पताल के अभुक्त बिलों को इकट्ठा करने के साधन के रूप में वेतन ऋणानुबंध या प्राथमिक आवासों पर ग्रहणाधिकार का उपयोग नहीं करेगा/गी।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

4. कोई भी कलेक्शन एजेंसी या अन्य हस्तान्तरिती, जो CommonSpirit अस्पताल संस्था की सहायक या सहयोगी नहीं है, इस परिशिष्ट के चैरिटी केयर या छूट भुगतान प्रावधानों के तहत किसी भी रोगी के साथ व्यवहार करते समय, अस्पताल के बिलों को इकट्ठा करने के साधन के रूप में वेतन ऋणानुबंध या रोगी के प्राथमिक निवास की बिक्री का साधन के रूप में उपयोग नहीं करेगी।

5. किसी भी रोगी के खिलाफ उगाही गतिविधियों को शुरू करने या रोगी ऋण को ऋण खरीदार को बेचने से पहले, CommonSpirit अस्पताल संगठन, रोगी को वित्तीय सहायता के लिए दूसरा आवेदन-पत्र और एक स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष लिखित नोटिस प्रदान करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

    (a) उस बिल की सेवा की तारीख या तारीखें, जो उगाहियों या बेचे जाने के लिए असाइन किया जा रहा है; उस संस्था का नाम, जिसे ऋण असाइन किया जा रहा है या बेचा जा रहा है; विस्तृत सूची वाला अस्पताल का बिल प्राप्त करने के बारे में रोगी को सूचित करने वाली स्टेटमेंट; सेवाओं के समय अस्पताल के साथ रिकॉर्ड पर रोगी के लिए स्वास्थ्य कवरेज का नाम और प्लान का प्रकार या यह स्टेटमेंट कि अस्पताल के पास वह जानकारी नहीं है; और वह तारीख या तारीखें, जब रोगी को मूल रूप से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के बारे में नोटिस भेजा गया था, वह तारीख या तारीखें, जब रोगी को वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र भेजा गया था, और, यदि लागू हो, तो वह तारीख, जब आवेदन पर निर्णय लिया गया था।

    (b) इस अनुच्छेद के अनुसार रोगी के अधिकारों का सरल भाषा में सारांश, रोसेन्थल फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट (नागरिक संहिता के डिवीजन 3 के भाग 4 का टाइटल 1.6C (धारा 1788 से शुरू)), और फेडरल फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिसेस एक्ट (यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 15 के अध्याय 41 के उप-अध्याय V (धारा 1692 से प्रारंभ))। सारांश में एक बयान शामिल होगा कि संघीय व्यापार आयोग संघीय अधिनियम को लागू करता है।

    (c) California हेल्थ एंड सेफ्टी कोड § 127430 में संशोधन के लिए आवश्यक निम्नलिखित कथन या कोई और कथन शामिल करें: राज्य और संघीय कानून के तहत कर्ज़ संग्राहक को आपके साथ उचित व्यवहार करना आवश्यक है। साथ ही राज्य और संघीय कानून कर्ज़ संग्राहक को झूठे बयान देने या हिंसा की धमकी देने, अश्लील या अभद्र भाषा का उपयोग करने और आपके नियोक्ता सहित तीसरे पक्ष के साथ अनुचित बातचीत करने से रोकता है। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, कर्ज संग्राहक आपसे सुबह 8:00 बजे से पहले या रात 9:00 बजे के बाद संपर्क नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः, कर्ज संग्राहक आपके वकील या पति/पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आपके ऋण के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है। कर्ज संग्राहक

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

आपके स्थान की पुष्टि करने या निर्णय लागू करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। ऋण वसूली गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप संघीय व्यापार आयोग से टेलीफोन द्वारा 1-877-FTC-HELP (382-4357) पर या www.ftc.gov पर ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं।

(d) एक बयान कि क्षेत्र में गैर-लाभकारी ऋण परामर्श सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

6. आवश्यक नोटिस (5)(b), (5)(c), और (5)(d) के साथ कोई भी ऐसा दस्तावेज होगा जो यह दर्शाता है कि उगाही गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है।

7. परिच्छेद (G) की आवश्यकताएं उगाही गतिविधियों में संलग्न इकाई पर लागू होंगी। अगर CommonSpirit अस्पताल संस्था किसी अन्य संस्था को कर्ज सौंपती है या बेचती है, तो उसका दायित्व उगाही एजेंसी सहित उस इकाई पर होगा जो ऋण उगाही गतिविधि में संलग्न है।

III. वित्तीय सहायता के संबंध में रोगी को सूचनापत्र

A. **सामान्य भाषा सारांश की पेपर कॉपी।** CommonSpirit अस्पताल संस्था रोगियों को वित्तीय सहायता नीति के सामान्य भाषा सारांश की एक पेपर कॉपी, प्रवेश या डिस्चार्ज प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देकर उन्हें वित्तीय सहायता नीति के बारे में सूचित करेगा और जानकारी देगी।

B. **बिलिंग प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सहायता नीति के बारे में सूचना।** नोटिस, सेवा के समय प्रदान किया जाएगा यदि रोगी जाग्रत हो और उस समय लिखित नोटिस प्राप्त करने योग्य हो, साथ हीडिस्चार्ज-उपरांत बिलिंग स्टेटमेंट्स, CommonSpirit अस्पताल संगठन प्रत्येक रोगी को एक स्पष्ट लिखित नोटिस प्रदान करेगा जिसमें वित्तीय सहायता नीति की उपलब्धता के बारे में जानकारी होगी। (बिलिंग विवरण के संबंध में प्रदान की गई सूचनाओं के संबंध में अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया CommonSpirit शासन नीति कानून G-004, *बिलिंग और उगाही* देखें)

C. **वित्तीय सहायता नीति की जारी की गई सूचना।** CommonSpirit अस्पताल संस्था के वित्तीय सहायता कार्यक्रम की सूचना और सामान्य भाषा का सारांश CommonSpirit अस्पताल संस्था में ऐसे स्थानों पर साफ और सुस्पष्ट रूप से लगाए जाएंगे जहाँ वे लोगों को आसानी से दिख सकें, जिनमें निम्नलिखित सभी स्थान शामिल हैं:

- आपातकालीन विभाग;
- बिलिंग कार्यालय;
- प्रवेश कार्यालय और सबंधित क्षेत्र;
- प्रतीक्षालय के कमरे;
- अन्य अस्पताल बाह्य रोगी व्यवस्था; और

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

- अन्य स्थानों पर जहां रोगियों की यातायात अधिक मात्रा में होती है या जहां इन्हें उन रोगियों या उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचने के लिए सुनियोजित व्यवस्था की जाती है जिन्हें CommonSpirit अस्पताल संस्था से वित्तीय सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
- मुख्य रूप से पॉलिसी के लिंक के साथ, अस्पताल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

D. **वेबसाइट पर पोस्ट करना और निवेदन पर प्रतियां प्रदान करना।** CommonSpirit अस्पताल संस्था इस परिशिष्ट, वित्तीय सहायता आवेदन पत्र और सामान्य भाषा सारांश को अपनी वेबसाइट पर पॉलिसी के लिंक के साथ प्रमुख स्थान पर उपलब्ध कराएगी, और रोगी या उसके परिवार के सदस्य के अनुरोध पर और बिना किसी शुल्क के प्रत्येक की कागजी प्रतियां, मेल द्वारा और सुविधा में सार्वजनिक स्थानों पर, कम से कम आपातकालीन विभाग (यदि कोई हो) और प्रवेश क्षेत्रों सहित,उपलब्ध कराएगी।

E. **भाषा संबंधी आवश्यकताएं।** CommonSpirit अस्पताल संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य और संघीय कानूनों के तहत आवश्यकता के अनुसार सभी लिखित नोटिस, पोस्ट किए जाने वाले साइन और ब्रोशर यथोचित भाषाओं में मुद्रित किए जाएं और रोगियों को प्रदान किए जाएं।

F. **प्रकाशित जानकारी।** आवश्यकतानुसार, और कम से कम वार्षिक आधार पर, California में प्रत्येक CommonSpirit अस्पताल संस्था या तो (a) ऐसे केंद्र में वित्तीय सहायता की उपलब्धता के संबंध में केंद्र द्वारा सेवित समुदायों में सामान्य प्रसार के समाचार पत्र में एक विज्ञापन देगी, या (b) इस परिशिष्ट के तहत ऐसे CommonSpirit अस्पताल संस्था द्वारा सेवा प्रदान किए गए समुदायों के लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी।

G. **सामुदायिक संस्थाएं।** California में प्रत्येक CommonSpirit अस्पताल संस्था समुदाय के सदस्यों (विशेष रूप से जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने की सबसे अधिक संभावना है) को ऐसे CommonSpirit अस्पताल संस्था में वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए संबद्ध संगठनों, चिकित्सकों, सामुदायिक दवाखानों, अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, पूजास्थलों और अन्य समुदाय-आधारित संगठनों के साथ काम करेगी।

H. **वित्तीय सहायता नीति प्रदाताओं की सूची।** CommonSpirit अस्पताल संस्था अपने केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्रदान करने वाले प्रदाताओं की सूची प्रकाशित करेगी जो स्पष्ट करेगी कि कौन से प्रदाता वित्तीय सहायता नीति द्वारा कवर किए गए हैं और कौन से कवर नहीं किए गए हैं। यह सूची प्रत्येक केंद्र की बिलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक CommonSpirit अस्पताल संस्था में प्रवेश के दौरान या पंजीकरण क्षेत्रों या साइटों पर छपी हुई कॉपी प्राप्त की जा सकती है।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

IV. बीमा और सरकारी कार्यक्रम पात्रता जांच प्रक्रिया

CommonSpirit, रोगी या उसके प्रतिनिधि से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी कि क्या निजी बीमा या सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम कवरेज पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्पताल द्वारा रोगी के देखभाल के लिए लिए गए शुल्क को कवर कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी घटक शामिल हो सकता है, जो इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- निजी स्वास्थ्य बीमा, जिसमें राज्य या संघीय स्वास्थ्य लाभ एक्सचेंज के माध्यम से दिया जाने वाला बीमा या स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजना कवरेज शामिल है;
- Medicare; और
- Medi-Cal (या Medicaid, जो भी लागू हो), California बाल सेवा कार्यक्रम, या स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य राज्य-वित्त पोषित कार्यक्रम।

CommonSpirit सभी अबीमाकृत रोगीों या उच्च चिकित्सा लागत वाले रोगीों से अपेक्षा करता है कि वे इस पात्रता जांच प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें।

V. वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया

A. यदि कोई रोगी निजी बीमा या सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम द्वारा कवरेज का संकेत नहीं देता है या कोई रोगी वित्तीय सहायता का अनुरोध करता है या CommonSpirit Health प्रतिनिधि यह निर्धारित करता है कि रोगी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकता है, तो CommonSpirit निम्नलिखित कार्य भी करेगी:

- पंजीकरण के समय सभी अबीमाकृत रोगियों को Medi-Cal (या Medicaid, जो भी लागू हो) और अन्य सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य बीमा या प्रायोजन कार्यक्रमों, जिनमें राज्य या संघीय स्वास्थ्य लाभ विनिमय के माध्यम से प्रदान किया गया कवरेज शामिल है, के लाभों को समझाने के सभी यथोचित प्रयास करें। CommonSpirit संभावित रूप से पात्र रोगियों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगी और आवेदनपत्र प्रदान करेगी और उन्हें पूरा करने में सहायता करेगी। भर्ती रोगियों के लिए डिस्चार्ज से पहले और आपातकालीन या बाह्य रोगी देखभाल प्राप्त करने वाले रोगियों के लिए उचित समयावधि के भीतर आवेदनपत्र और सहायता प्रदान किए जाएंगे।

- CommonSpirit की वित्तीय सहायता नीति और रियायतों को, पात्रता आवश्यकताओं सहित, उन रोगियों को समझाने का यथोचित प्रयास करें, जो वित्तीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग संभावित रूप से पात्र हैं उन्हें आवेदन करने के लिए कहें, सेवा के समय या बिलिंग और उगाही प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सहायता के मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी इच्छुक व्यक्ति को वित्तीय सहायता आवेदनपत्र प्रदान करें, और आवेदन को पूरा करने में सहायता प्रदान करें।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

B. यदि कोई रोगी सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत रोगी द्वारा प्राप्त योग्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, तो रोगी को तब तक वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी जब तक कि रोगी सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं करता और उसे कवरेज से वंचित नहीं किया जाता। यदि कोई रोगी सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए आवेदन करता है और उसे कवरेज से वंचित कर दिया जाता है, तो CommonSpirit को कवरेज से इन्कार की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह के सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए रोगी द्वारा किया हुआ आवेदन इस परिशिष्ट के तहत CommonSpirit से वित्तीय सहायता के लिए उसकी पात्रता को नहीं रोकता है।

C. वो रोगी जो CommonSpirit के अनुसार सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों (*उदा.,* Medi-Cal, Medicaid, CHIP) के लिए पात्र हो सकता है, उससे पूर्ण वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर CommonSpirit रोगी की वित्तीय सहायता के लिए पात्रता का निर्धारण स्थगित कर सकती है, जब तक कि रोगी का सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए आवेदन पूरा और दाखिल नहीं हो जाता है, और इस तरह के कार्यक्रम के लिए रोगी की पात्रता का निर्धारण नहीं किया जाता है।

D. यदि किसी रोगी ने पहली डिस्चार्ज-पश्चात बिलिंग सूचना के बाद 180 दिनों के भीतर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पूरा नहीं किया और जमा नहीं किया तो CommonSpirit अस्पताल संस्था, CommonSpirit शासन नीति कानून G-004, *बिलिंग* और उगाही के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन ECA सहित आगे की उगाही गतिविधियों में संलग्न हो सकता है।

E. नीचे दिए गए परिच्छेद F और G के अधीन, CommonSpirit अस्पताल संस्था प्रत्येक आवेदक की वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवेदक से आवश्यक और उचित दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहेगी। यदि आवेदक इनमें से कोई भी या सभी दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ है, तो CommonSpirit अस्पताल संस्था पात्रता निर्धारण करते समय इस विफलता पर गौर करेगी। उचित परिस्थितियों में, CommonSpirit अस्पताल संस्था कुछ या सभी दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं की छूट दे सकती है और आनुमानिक पात्रता जांच या Medi-Cal पात्रता अनुमोदन के माध्यम से वित्तीय सहायता को स्वीकृती दे सकती है। CommonSpirit अस्पताल संस्था रोगी के खाते में जांच का दस्तावेजीकरण करेगी और रोगी को मंजूरी के बारे में लिखित रूप से भी सूचित करेगी।

F. रोगी चैरिटी केयर प्राप्त करने के योग्य है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए रोगी से अनुरोधित दस्तावेज आयकर रिटर्न तक, या यदि आयकर रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो भुगतान स्टब्स और संपत्ति के उचित दस्तावेजीकरण तक सीमित होंगे, लेकिन इसमें सेवानिवृत्ति या आंतरिक राजस्व संहिता के तहत योग्य आस्थगित मुआवजा योजनाएं या अयोग्य आस्थगित मुआवजा योजनाओं की संपत्ति शामिल नहीं होगी। CommonSpirit अस्पताल संस्था को आवेदक और रोगी के परिवार से छूट या रिहाई की आवश्यकता हो सकती है, जो CommonSpirit अस्पताल संस्था को वित्तीय या वाणिज्यिक संस्थानों या अन्य संस्थाओं, जो मौद्रिक संपत्ति रखते हैं या बनाए रखती हैं, से खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती है।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

G. रोगी रियायती देखभाल या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं इस बात को निर्धारित करने के लिए, आय का दस्तावेज़ीकरण आयकर रिटर्न तक या यदि आयकर रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो भुगतान स्टब्स तक सीमित होगा। इसके अलावा, विस्तारित भुगतान योजना का अनुरोध करने पर आवेदक को आवश्यक जीवन व्यय के दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

H. उपरोक्त परिच्छेद (F) या (G) के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग उगाही गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद CommonSpirit अस्पताल संस्था, कलेक्शन एजेंसी, या हस्तान्तरिती द्वारा प्राप्त जानकारी के उपयोग को चैरिटी देखभाल या रियायती भुगतान के लिए पात्रता प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप में प्रतिबंधित नहीं करता है।

I. रोगी वित्तीय सहायता के लिए पात्र है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए, रोगी के परिवार की आय के अतिरिक्त CommonSpirit अस्पताल संस्था रोगी के डिस्चार्ज या सेवा की तारीख के बाद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों पर भी विचार कर सकती है, जैसे विकलांगता, नौकरी छूटना, या अन्य परिस्थितियाँ जो रोगी की पात्र सेवाओं के लिए भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

J. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता का निर्धारण CommonSpirit अस्पताल संस्था को इस परिशिष्ट में वर्णित जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय किया जा सकता है। परंतु अगर वित्तीय सहायता के लिए कोई भी आवेदन अवधि के भीतर दर्ज नहीं किया गया तो CommonSpirit अस्पताल संस्था के पास उस आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

K. रोगी इस परिशिष्ट में वर्णित वित्तीय सहायता के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं यह निर्धारित करने के संबंध में रोगी, रोगी के परिवार, या रोगी के कानूनी प्रतिनिधि से प्राप्त जानकारी का उगाही गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

L. यदि कोई रोगी एक से अधिक रियायतों के लिए आवेदन करता है और उनके लिए पात्र है तो रोगी सबसे बड़ी एकल छूट प्राप्त करने का हकदार होगा जिसके लिए रोगी पात्र है, जब तक कि CommonSpirit की नीतियों द्वारा स्पष्ट रूप से कई रियायतों के संयोग की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती है।

M. एक अबीमाकृत रोगी, या ऐसा रोगी जो यह जानकारी प्रदान करता है कि वह उच्च चिकित्सा लागत वाला रोगी हो सकता है, के मामले में CommonSpirit अस्पताल संस्था, CommonSpirit अस्पताल का कोई भी हस्तान्तरिती, या कलेक्शन एजेंसी सहित रोगी के कर्ज के अन्य मालिक प्रारंभिक बिलिंग के गैर-भुगतान के लिए 180 दिनों से पहले किसी भी समय उपभोक्ता ऋण सूचना एजेंसी को प्रतिकूल जानकारी की सूचना नहीं देगी।

© Copyright 2021-2022 CommonSpirit Health. केवल अंदरूनी प्रयोग के लिए

Saint Francis Memorial Hospital अस्पताल किराया ििबलंग कायर्कर्म

ध्यान द :
यिद आपको अपनी भाषा म सहायता की आवश्यकता है, तो कृ पया (415) 353-6140 पर कॉल कर या Finanical Counselor Office पर जाएं। कायालर्य खुला है 8 बजे से शाम 4:30 बजे और Saint Francis Memorial Hospital, 900 Hyde Street, San Francisco, CA 93301 पर स्थित है। विकलांग लोग के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे बर्ेल िलिप, बड़े पिर्ंट, ऑडियो और अन्य सुलभ इलेक्टर्ॉनिक फॉम ट म दस्तावेज़ भी उपलब्ध ह । ये सेवाएं निःशुल्क ह।

अपने बिल का भुगतान कर
ऐसे निःशुल्क उपभोक्ता वकालत संगठन ह जो आपको ििबलंग और भुगतान पर्कियार् को समझने म मदद कर गे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्थ कं ज्यूमर अलायंस को 888-804-3536 पर कॉल कर सकते ह या healthconsumer.org पर जा सकते ह ।

अस्पताल बिल शिकायत कायर्क मर्
अस्पताल बिल शिकायत कायर्क मर् एक राज्य कायर्क मर् है, जो अस्पताल के निणयर् की समीक्षा करता है कि क्या आप अपने अस्पताल के बिल का भुगतान करने म सहायता के लिए पातर् ह । यिद आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से वि ीय सहायता से वंचित कर दिया गया है, तो आप अस्पताल बिल शिकायत कायर्क मर् के तहत शिकायत दजर् कर सकते ह । अधिक जानकारी और शिकायत दजर् करने के लिए HospitalBillComplaintProgram.hcai.ca.gov पर जाएं।